न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 135/2017

1. किशन लाल पुत्र हजारी लाल जाति मीना निवासी डोलिका तहसील सिकराय जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये जिला रसद अधिकरी दौसा जिला दौसा (राजस्थान)

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.10.2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी, दौसा मुकदमा नंबर 159/2017 उनवानी प्रकरण राज्य सरकार बनाम मैसर्स किशनलाल मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डोलिका तहसील सिकराय

उपस्थितः 1.श्री मिट्ठन लाल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 06.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 31.10.2017 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलांट ग्राम पंचायत डोलिका तहसील सिकराय जिला दौसा के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है। ग्राम पंचायत डोलिका के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण करता रहा है। अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा निराधार आरोप सिद्ध मानते हुए 100रू0 अमानता राशि जब्त सरकार कर एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। साथ ही 20.15 क्विं0गेहूँ की राशि 36270/-रू0 एवं 1059.52 लीटर केरोसीन की अंतर राशि 36550/-रू0 कुल 72820/-रू0 की वसूली के आदेश जारी किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा जवाब कारण बताओ नोटिस का अवलोकन नहीं किया जाकर प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा दिनांक

अपील सं0 135/2017

24.6.2017 को एकतरफा मनमानीपूर्वक किये गये निरीक्षण को सही पूर्ण मानते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट को जो स्टॉक में गेहूँ दिये गये उनके साथ लल्लू डीलर के गेहूँ वितरण का कार्य अटैचमेंट भी अपीलांट को दिया गया था। लल्लू डीलर के गेहूँ वितरण का कार्य अपीलांट ने अपनी पोश मशीन द्वारा कर दिया इस वजह से लल्लू वाले स्टॉक में 20 क्विं0 गेहूँ का इन्द्राज कम हो गया जो लल्लू डीलर वाले रजिस्टर अपीलांट द्वारा संधारित कर दिया गया। ऐसी सूरत में कोई अनियमितता जान बूझकर नहीं की गई। अपीलांट का कोई दोष नहीं है। 542 लीटर केरोसीन लल्लू डीलर वाली दुकान में था जो प्रवर्तन निरीक्षक को जांच के समय बता दिया गया था। अपीलांट के स्टॉक में कोई केरोसीन अधिशेष नहीं था। निल स्टॉक प्रवर्तन निरीक्षक को बता दिया गया था। ऐसी सूरत में 1059.42 लीटर केरोसीन की कोई हेराफेरी अपीलांट द्वारा नहीं की गई। केरोसीन की कालाबाजारी एवं दुरूपयोग सिद्ध नहीं हुआ है। फिर भी अपीलांट से 1059.42 लीटर केरोसीन की कीमत 36550/- वसूली योग्य नहीं होते हुए भी कतई वेग पूर्ण आज्ञा जारी फरमाई गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2017 को निरस्त कर एवं अपीलांट के प्राधिकार पत्र को बहाल करने एवं वसूली आदेश निरस्त फरमावें।

विभागीय पैरोकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत डोलिका तहसील सिकराय के उचित मूल्य दुकानदार श्री किशन लाल मीना के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा दिनांक 13.7.2017 को की जाकर उसी दिन कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा में प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट मे पाई गई अनियमितताओं बाबत दिनांक 26.7.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जांच में निम्न अनियमितताऐं पायी गईः-

1. दुकान के बाहर नोटिस बोर्ड पर स्टॉक व मूल्य सूची का अंकन नहीं था। दुकान के बाहर उचित मूल्य व फर्म का नाम लिखा होना नहीं पाया गया।
2. उचित मूल्य की दुकान के निरीक्षण के समय एनएफएसए की पात्रता ई सूची उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही दुकान के बाहर उक्त सूची चस्पा होना पाई गई।
3. स्टॉक रजिस्टर का अनियमित एवं अपूर्ण संधारण किया गया तथा श्री लल्लूराम मीना की अटैच दुकान का स्टॉक रजिस्टर में संधारण नहीं किया। संधारित रजिस्टर में बीच-2 में खाली जगह छोडी जाना पाया गया।
4. उचित मूल्य दुकान का संधारित स्टॉक रजिस्टर प्रवर्तन निरीक्षक एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था।
5. माह सितम्बर 2016 से 24.6.2017 तक थोक विक्रेता द्वारा की गई आपूर्ति एवं पोश मशीन द्वारा किये गये वितरण का मिलान करने पर 29.52 क्विं0 गेहूँ अधिक व 542 लीटर केरोसीन कम पाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 135/2017

6. अटैच दुकान 21.3.2017 से 5.6.2017 तक संबद्ध रही, उस दौरान आपूर्ति एवं पॉश मशीन द्वारा वितरण उपरांत 20.15 क्विं0 गेहूँ तथा 517 लीटर केरोसीन अवशेष था, जिसे दुकानदार के बहाल होने पर उसे हस्तान्तरित न करके उक्त राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया।

इस प्रकार निरस्त प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार श्री किशनलाल मीना द्वारा राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खंड 3,6 व 20 का व प्राधिकार की शर्त संख्या 5 से 8 व 11 तथा 16 का उल्लंघन किया गया है। रसद विभाग द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार डीलर द्वारा स्टॉक रजिस्टर प्रवर्तन निरीक्षक से प्रमाणित करवा रखे है। किन्तु 20.15 क्वि0 गेहूँ एवं 1059.42 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया जाना प्रमाणित होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official